फैक्स/समयबद्ध

संख्या- 1156/1-10-2015-12(34)/03टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊ: दिनांक : 24 नवम्बर, 2015

विषय- वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं वितरण और राहत कार्यों का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2015-16 अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या-109[illegible]/1-10-14-12(34)/03टी.सी.।, दिनांक 04.11.2015 धनराशि स्वीकृत करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ-साथ शीतलहरी/कोहरा का प्रकोप प्रारम्भ होने वाला है। अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से सामान्य जन, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को बचाया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

1- प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।

2- क्रय किये जाने वाले कम्बलों की मानक के अनुसार शत-प्रतिशत गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाये तथा लाभार्थियों को कम्बल वितरण के समय उसकी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुये प्रतिदिन कम्बल वितरण की सूचना (पूर्ण विवरण के साथ) स्थानीय समाचार पत्रों तथा मीडिया में भी दी जाय। कम्बलों का वितरण यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाय।

3- नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि द्वारा निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के ठण्ड से बचाव के लिए अपने क्षेत्र में रैन बसेरे, शेल्टर होम आदि की स्थापना की जाती है। इन रैन बसेरों, शेल्टर होम में रूकने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के ठण्ड से बचने के लिए आवश्यक समस्त उपाय किए जायें तथा इन रैन बसेरों के आस-पास अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

4- जनपदों में सार्वजनिक चिन्हित स्थानों पर जलाये जाने वाले अलाव का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही उन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय तथा स्थानीय समाचार पत्रों तथा मीडिया में भी इससे सम्बन्धित सूचनायें प्रसारित करायी जाय ताकि शासन द्वारा जन सामान्य को ठण्ड से बचाव हेतु किये जा रहे व्यापक उपायों की जानकारी हो सके।

5- उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग होने के पश्चात यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो स्वीकृत धनराशि के उपभोग के पूर्ण विवरण सहित अपेक्षित धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

6- प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा क्रय किए गए कम्बलों में से एक कम्बल जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से सीलबन्द करके राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, छठां तल, लखनऊ को तत्काल प्रेषित किया जाये ताकि कम्बल की गुणवत्ता को देखा जा सके।

7- शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यो के क्रियान्वयन सम्बन्धी अनुपालन आख्या (कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति) राहत कन्ट्रोल रूम के फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किए जाने के साथ ही राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर प्रत्येक दिन सायं 04.00 बजे तक अवश्य अपलोड किया जाय।

3- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।